

दूरसंचार अधिनियम, 2023 के परिवर्तनकारी प्रभाव

यह एडिटरियल 12/01/2024 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Open Up The Playing Field" लेख पर आधारित है। इसमें दूरसंचार अधिनियम, 2023 के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही अधिनियम में अंतरनिहित विभिन्न मुद्दों की संवीक्षा की गई है और सुधार के लिये रचनात्मक सुझाव दिया गया है।

प्रलिस के लिये:

[भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885](#), [दूरसंचार सेवाएँ, दूरसंचार अधिनियम, 2023](#), [TRAI](#), [यूनियनसल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड](#), [डिजिटल भारत नधि](#), [प्रधानमन्त्री Wi-Fi एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस](#), [भारतनेट परियोजना](#), [उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन \(PLI\) योजना](#), [डिजिटल इंडिया पहल](#)।

मेन्स के लिये:

दूरसंचार अधिनियम, 2023 के उपरांत भारत में दूरसंचार क्षेत्र की स्थिति।

[भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण \(Telecom Regulatory Authority of India- TRAI\)](#) के अनुसार, भारत जुलाई 2022 तक 85.11% के टेली घनत्व के साथ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार बाजार के रूप में उभर चुका है। देश की बढ़ती इंटरनेट और ब्रॉडबैंड पहुँच [डिजिटल इंडिया पहल](#) का समर्थन करती है और यह [5G](#) की दौड़ में भी शामिल हो चुका है।

दिसंबर 2023 में बहुप्रतीक्षित [दूरसंचार अधिनियम, 2023](#) लागू किया गया, जिसमें आवश्यक मोबाइल नेटवर्क को साइबर खतरों और अनधिकृत पहुँच से बचाने के लिये एक सुदृढ़ सुरक्षा ढाँचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है।

भारत में दूरसंचार का इतिहास क्या है?


- ऐतिहासिक रूपरेखा (1885-2023):
 - भारतीय दूरसंचार क्षेत्र, जिसे [भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885](#), भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार (गैर-कानूनी कब्जा) अधिनियम 1950 के रूप में तीन कानूनों द्वारा आकार दिया गया, एक परिवर्तनकारी कानूनी विकास से होकर गुज़रा है।
 - टेलीग्राफ तार के गैर-कानूनी कब्जे से संबंधित 1950 के अधिनियम को हाल ही में नियामक अनुकूलनशीलता पर बल देते हुए [नरिसन एवं संशोधन अधिनियम 2023](#) द्वारा नरिसत कर दिया गया।
- नियामक प्राधिकरण:
 - टैरफि विनियमन में सहायक रहे ट्राई अधिनियम 1997 ने ट्राई (TRAI) और [दूरसंचार विवाद नपिटान एवं अपीलीय नयायाधिकरण \(TDSAT\)](#) दोनों की स्थापना की।
 - हालाँकि, लाइसेंसिंग प्राधिकार को केंद्र सरकार में नहित बनाये रखा गया है।
- 1885 का अधिनियम और प्रौद्योगिकीय विकास:
 - मूल रूप से टेलीग्राफ सेवाओं को नयितरित करने वाला टेलीग्राफ अधिनियम 1885, जो आश्चर्यजनक रूप से प्रत्यास्थी रहा, वर्ष 2013 में टेलीग्राफ युग की समाप्त तक बना रहा।
 - जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी उन्नत हुई, टेक्स्ट, वॉयस, इमेज और वीडियो के वास्तविक समय प्रसारण को शामिल करते हुए 1885 के अधिनियम ने आधुनिक दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना जारी रखा।

दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- प्राधिकरण और लाइसेंसिंग आवश्यकताएँ:
 - दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने या दूरसंचार नेटवर्क संचालित करने के लिये [केंद्र सरकार से पूर्व प्राधिकरण अनिवार्य है](#)।
 - मौजूदा लाइसेंस उनकी अनुमत अवधि या पाँच वर्ष तक वैध बने रहते हैं।
- स्पेक्ट्रम आवंटन और उपयोग:

- राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और उपग्रह सेवाओं जैसे वशिष्ट उद्देश्यों को छोड़कर, स्पेक्ट्रम को नीलामी के माध्यम से सौंपा जाएगा।
- सरकार के पास फ्रीक्वेंसी रेंज का पुनः उपयोग करने का अधिकार है और वह स्पेक्ट्रमशेयरिंग, ट्रेडिंग, लीजिंग और सरेंडर की अनुमति देती है।
- **सैटेलाइट इंटरनेट प्रावधान:**
 - वधिन ने वन वेब (OneWeb) और [स्पेसएक्स के सटारलकि](#) जैसे उपग्रह इंटरनेट प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के प्रावधान पेश किये, जबकि उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिये वन वेब और जियो (Jio) को पहले से ही सक्रिय प्राधिकरण प्रदान किया जा चुका है।
- **नगिरानी और नलिंबन शक्तियाँ:**
 - सरकार के पास सार्वजनिक सुरक्षा या आपातकाल से संबंधित नरिदषिट आधारों पर संदेशों को रोकने, उनकी नगिरानी करने या ब्लॉक करने की शक्ति है।
 - सार्वजनिक आपात स्थिति के दौरान दूरसंचार सेवाओं को नलिंबित किया जा सकता है और बुनियादी ढाँचे पर अस्थायी कब्जा किया जा सकता है।
- **वनियमन और मानक:**
 - केंद्र सरकार दूरसंचार उपकरण और अवसंरचना के लिये मानक नरिधारित कर सकती है।
 - यह अधनियम ट्राई अधनियम 1997 में भी संशोधन करता है और केवल अनुभवी व्यक्तियों को ही अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नयुक्त करने की अनुमति देता है।
 - इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष के पास कम से कम तीस वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिये और उसने नदिशक मंडल के सदस्य या किसी कंपनी के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य किया हो।
 - ट्राई अध्यक्ष के पास दूरसंचार, उद्योग, वतित, कानून, लेखा, प्रबंधन या उपभोक्ता मामलों में पेशेवर अनुभव होना चाहिये।
 - इसी तरह, यह ट्राई सदस्यों की नयुक्तिके मानदंडों में भी बदलाव करता है, जहाँ कहा गया है कि सदस्य के पास कम से कम पच्चीस वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिये और उसने किसी कंपनी के नदिशक मंडल के सदस्य या मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य किया हो।
 - इससे पता चलता है कि ट्राई के अध्यक्ष और सदस्यों की नयुक्तिके अब नजी क्षेत्र से की जा सकती है।
- **डजिटल भारत नधि और ओटीटी सेवाएँ:**
 - [यूनविरसल सर्विस ऑब्लगिशन फंड \(USOF\)](#) को डजिटल भारत नधि के रूप में बनाये रखा गया है, जहाँ अनुसंधान और वकिस के लिये इसका उपयोग किया जा सकता है।
 - [ओवर-द-टॉप \(OTT\)](#) सेवाओं को दूरसंचार अधनियम से बाहर रखा गया है और उनका वनियमन संभावित [डजिटल इंडिया अधनियम, 2023](#) के अंतर्गत आता है।
- **कानूनी अपराध और दंड:**
 - वधियक आपराधिक और नागरिक अपराधों को नरिदषिट करता है, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के अनधिकृत प्रावधान और शर्तों का उल्लंघन शामिल है।
 - दंड के अंतर्गत [जुरमाने से लेकर कारावास तक](#) शामिल है और अधनिरिणय नरिदषिट अधिकारियों एवं समतियों द्वारा की जाती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय:**
 - वर्ष 2020 के भारत-चीन सीमा संघर्ष के बाद आरंभिक रूप से स्थापित प्रावधानों को कानून में एकीकृत किया गया है, जो संभावित रूप से प्रतकिल देशों से दूरसंचार उपकरणों के आयात को रोकने के उपायों पर बल देता है।

//



दूरसंचार अधनियम 2023 के गुण और दोष कौन-से हैं?

■ गुण:

- **नए प्रतमिनों की ओर बदलाव:** दूरसंचार अधिनियम 2023 पछिले अधिनियमों से एक उल्लेखनीय प्रस्थान का प्रतीक है जिन्हें अब मानव-मानव, मानव-मशीन और मशीन-मशीन संचार के विकसित परिदृश्य को समायोजित करने के लिये प्रतस्थापित किया गया है।
- **वभिन्न संचार प्रौद्योगिकियों का नेवगिशन:** यह अधिनियम संचार प्रौद्योगिकियों की पीढ़ियों को नेवगिट करने के लिये तैयार है, जिसमें वॉयस कॉल, मैसेजिंग, वीडियो कॉल, वयिरेबल्स और **इंडस्ट्री 4.0** जैसे नवाचार शामिल हैं।
 - संचार के भविष्य में **AI, IoT और क्वांटम कंप्यूटिंग** जैसी कंप्यूटिंग एवं प्रौद्योगिकियों का अवभाज्य एकीकरण अपेक्षित है।
- **आगे की ओर कदम:** दो महत्त्वपूर्ण और संभवतः नज़रअंदाज किये गए उद्देश्यों पर बल दिया गया है, जो हैं **प्रतसिपर्द्धा को बढ़ावा देना** और ऋण-ग्रस्त उद्योग में अवसंरचना के उन्नयन के लिये संसाधन जुटाना।
- **स्पेक्ट्रम उपयोग में प्रौद्योगिकीय तटस्थता:** अधिनियम उचित रूप से स्पेक्ट्रम उपयोग में प्रौद्योगिकीय तटस्थता की वकालत करता है, जहाँ यह स्वीकार किया गया है कि दूरसंचार सेवाओं को अब प्रौद्योगिकी प्रकार द्वारा परभाषित नहीं किया जा सकता।
 - नषिपक्ष प्रतसिपर्द्धा को प्रोत्साहित करने के लिये, **बाज़ार के नए प्रवेशकों के पास वाणज्यिक शर्तों पर बुनियादी ढाँचे तक गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-वशिष्ट पहुँच** होनी चाहिये।
- **डजिटल प्रौद्योगिकियों के लिये नयामक अभसिरण:** एक एकीकृत दृष्टिकोण के साथ, यह अधिनियम नयामक अभसिरण के महत्त्व पर बल देते हुए दूरसंचार और इंटरनेट के अभसिरण को संबोधित करता है।
 - एकीकृत सेवाओं पर खंडित नरीक्षण की चुनौती को स्वीकार किया गया है, जिससे अलग-अलग लाइसेंस और प्रशासनिक विभागों की प्रभावकारिता पर सवाल उठते हैं।

■ अवगुण:

- **वविदति प्रावधान और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:** अधिनियम सुरक्षा मानकों और आपात स्थितियों के दौरान सरकार को सशक्त बनाने वाले वविदति प्रावधानों, जो संभावित रूप से सीमिति जवाबदेही के साथ नागरिक **नजिता** का उल्लंघन करते हैं, से संबंधित चिंताओं को संबोधित करने में वफिल रहता है।
 - **नजिता के साथ सुरक्षा को संतुलित करना शासकीय अधिकारियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण** वचिरार्थ वषिय बन जाता है।
- **5G/6G कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:** भारत को 5G अंगीकरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें अनाकर्षक उपयोग के मामले, खराब मुद्रीकरण और अपर्याप्त अवसंरचना नविश शामिल हैं।
 - वर्ष 2023-24 के बाद पूंजीगत व्यय में पर्याप्त कटौती के लिये रलियांस जयिओ और भारती एयरटेल की प्रतबिद्धता चिंता पैदा करती है।
 - अधिनियम में समयबद्ध तरीके से **5G और 6G अवसंरचना** को बढ़ावा देने के लिये एक वशिष्ट दृष्टिकोण का अभाव है।

भारत में दूरसंचार क्षेत्र में सुधार के लिये कौन-से कदम उठाये जा सकते हैं?

■ नयामक उपाय के रूप में कार्यात्मक पृथक्करण:

- अधिनियम में कार्यात्मक पृथक्करण की अवधारणा को शामिल किया जाना चाहिये, जैसा कि बाज़ार एकाग्रता को संबोधित करने के लिये **अंतर्राष्ट्रीय नयिमों में देखा जाता है**।
 - **स्वीडन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और पोलैंड के उदाहरण** इसके उपयोग को दर्शाते हैं, लेकिन नमिन नविश और नवाचार के लिये असंगत उपायों को रोकने के लिये सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

■ स्वैच्छिक संक्रमण और उद्योग वन्यास:

- नमिन कराधान या राजकोषीय लाभ से प्रोत्साहित **स्वैच्छिक संक्रमण अधिक प्रभावी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं**, जैसा कि इटली में देखा गया है।
 - अपेक्षाओं में पूरी तरह से एकीकृत टेलिकॉम से लेकर नेटवर्क एग्रीगेटर्स और प्योर-प्ले सेवा प्रदाताओं तक उद्योग वन्यास का एक स्पेक्ट्रम शामिल है।

■ वायरलाइन आधारित संरचना की ओर संक्रमण:

- वायरलाइन आधारित संरचना 5G/6G स्पीड देने में कहीं अधिक सक्षम है। भारत को उच्च गुणवत्ता वाले डजिटल अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिये **वायरलेस से वायरलाइन आधारित संरचना की ओर आगे बढ़ना चाहिये**।
 - **‘राइट ऑफ वे’** पर अधिनियम का बल इस आवश्यकता को चहिनति करता है, जो वशिष रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिये फाइबर अवसंरचना में नविश के माध्यम से लागत कम करने के लिये एक सक्षम कारोबारी माहौल की मांग करता है।

■ सरकार का योगदान और संसाधन सृजन:

- सरकार को **USOF के माध्यम से ग्रामीण और गैर-ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के नरिमाण के लिये स्पष्ट लक्ष्य नरिधारित करने चाहिये**।
 - फाइबर अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिये संसाधन सृजन और नजिी क्षेत्र के नविश के लिये प्रतसिपर्द्धी अवसर का होना महत्त्वपूर्ण है।

■ भविष्य के लिये एकीकृत दृष्टिकोण:

- यह अधिनियम एक एकीकृत दृष्टिकोण के महत्त्व के साथ पूर्ण होता है, जिसमें वभिन्न विभागों के बीच लाइसेंसिंग, मानकों, कौशल और शासन में तालमेल पर बल दिया गया है।
 - इस **समग्र दृष्टिकोण को भारत की डजिटल क्रांतिके लिये आवश्यक माना जाता है**, जो दूरसंचार उद्योग को नरितर विकास में अग्रणी मोर्चे पर रखता है।

संबंधित सरकारी पहल

- प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI)

- भारतनेट परियोजना
- प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI)
- भारत 6G एलायंस

नष्कषः

भारत के दूरसंचार क्षेत्र का चल रहा वसुतार देश के डजिटल रूपांतरण में एक महत्त्वपूर्ण तत्व है। दूरसंचार अधनियम 2023 के प्रमुख उद्देश्यों में सेवाओं में प्रतसिपर्द्धा को बढ़ावा देना, फाइबर-आधारित नेटवर्क में बदलाव को प्रोत्साहित करना और तकनीकी गतशीलता को बढ़ावा देना शामिल है। इन प्रयासों का उद्देश्य दूरसंचार में एक नए युग की शुरुआत करना है। इसमें अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरने के बजाय ठोस प्रगति हासिल करने पर बल दिया गया है।

अभ्यास प्रश्न: दूरसंचार अधनियम, 2023 ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र की वृद्धि और गतशीलता को कसि प्रकार प्रभावित किया है? डजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका पर बल देते हुए संबंधित चुनौतियों एवं संभावित परिणामों की चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कौन दूरसंचार, बीमा, बजिली आदिक्षेत्रों में स्वतंत्र नयामकों की समीक्षा करता है? (2019)

1. संसद द्वारा गठित तदर्थ समतियों
2. संसदीय वभाग से संबंधित स्थायी समतियों
3. वतित आयोग
4. वतिलीय क्षेत्र वधायी सुधार आयोग
5. नीति आयोग

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 3, 4 और 5
- (d) केवल 2 और 5

उत्तर: a

प्रश्न. भारत में 'पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर' पदबंध कसिके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? (2020)

- (a) डजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना
- (b) खाद्य सुरक्षा अवसंरचना
- (c) स्वास्थ्य देखभाल और शक्ति आधारभूत संरचना
- (d) दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना

उत्तर: A

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा/से भारत सरकार के 'डजिटल इंडिया' योजना का/के उद्देश्य है/हैं? (2018)

1. भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा कि चीन ने किया।
2. एक नीतगित ढाँचे की स्थापना जसिसे बड़े आँकड़े एकत्रित करने वाली समुद्रपारीय बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कवि हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें।
3. हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से वदियालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाई-फाई की सुवधि प्रदान करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/transformative-impacts-of-telecommunications-act-2023>

